

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 1423/2026

1. Prem Kumar S/o Fusa Ram, Aged About 33 Years, Rampura Rangmahal Police Station Pilibanga Dist Hanumangarh (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)
2. Deepak Alias Rajkamal S/o Shree Ram Baori, Aged About 21 Years, Rampura Rangmahal Police Station Pilibanga Dist Hanumangarh (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioners

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Achala Ram

For Respondent(s) : Mr. Hathi Singh Jodha, Dy. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

27/03/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 341/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201, 427 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या लिप्त किया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 16.06.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, प्रकरण में 18 में से केवल 6 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए हैं 12 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होना शेष है। प्रकरण में परिवादी सहित तीन अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हो चुके हैं और जब्ती से संबंधित साक्षी पीडब्ल्यू-5 बंसीलाल, पीडब्ल्यू-6 कलविन्द्रसिंह के बयान हो चुके हैं। प्रकरण के विचारण

में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 302, 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का गंभीर आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर दिनांक 14.06.2024 को रात्रि के समय बस अड्डा रामपुरा रंगमहल शराब ठेके के पास सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी केदार के भाई सुरेन्द्र उर्फ बंडल के सिर में ईंट के खोरे से मारकर सिर को कुचलकर हत्या कारित करने एवं सबूत मिटाने के आशय से मृतक की लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल देने का गंभीर प्रकृति का आरोप है, पीडब्ल्यू-5 बंसीलाल, पीडब्ल्यू-6 कलविन्द्रसिंह ने भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य दी है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 14.06.2024 को मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल बस अड्डा रामपुरा रंगमहल के पास शराब ठेके के सामने चारपाई पर सो रहा था, उस रात्रि को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रेम कुमार व दीपक उर्फ राजकमल चोरी करने की नीयत से बस अड्डे की दुकान के सामने आए, आते ही वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और इस दौरान आवाज होने से मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल जाग गया, उसने दोनों अभियुक्तगणों को ललकारा तो अभियुक्त प्रेम कुमार ने मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल को जकड़कर पकड़ लिया व मुलजिम दीपक उर्फ राजकमल ने वहां पड़े ईंट के खोरों से मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल के सिर पर वार कर दिया, जिससे मृतक घायल हो गया। अभियुक्तगण ने सोचा की मृतक ने उसे देख लिया है, इसलिए वे सुरेंद्र उर्फ बंडल की हत्या करने के लिए उसे घसीटकर रेलवे ट्रैक व पक्की सड़क के बीच बनी ढलान में ले गए और वहां ले जाकर सुरेंद्र उर्फ बंडल के सिर

पर ईंट के खोरे मार-मारकर सिर को कुचलकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल की लाश को रेलवे ट्रैक पर डालकर वहां से भाग गए।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दीपक उर्फ राजकमल धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर साक्षीगण कुलविन्द्र सिंह व बंशीलाल की उपस्थिति में जिस ईंट (खोरा) से मृतक सुरेंद्र उर्फ बंडल की हत्या की गई, वह जब्त की गयी है, इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त प्रेम प्रकाश से भी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर कुलविन्द्र सिंह व बंशीलाल साक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आधी ईंट (खोरा) बरामद हुई है और जिस पर खून लगकर मिट्टी जमी हुई थी, जिसको जब्त किया गया है और यही स्थिति दीपक उर्फ राजकमल से आधी ईंट बरामद करते समय साबित हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रेम कुमार व दीपक उर्फ राजकमल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर साक्षीगण कुलविन्द्र सिंह व बंशीलाल की उपस्थिति में बरवक्त घटना खून से सने हुए कपड़े जलाए थे, वे बरामद कराए हैं, इसी प्रकार से बरवक्त घटना पहना हुआ लोवर जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे, प्रार्थी/अभियुक्त दीपक उर्फ राजकमल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर साक्षीगण कुलविन्द्र सिंह व बंशीलाल की उपस्थिति में बरामद कराया है। विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, रेलवे ट्रैक से जब्त पत्थर के टुकड़ों के नमूने, जिन्हें मार्क-ई अंकित किया गया था, उन पर 'ए' ग्रुप का मानव रक्त पाया गया है। इसी प्रकार से सुरेंद्र उर्फ बंडल के पजामे तथा दीपक उर्फ राजकमल का जो लोवर था, जो कि घटना में प्रयुक्त किया गया है, उसमें भी 'ए' ग्रुप का मानव रक्त पाया गया है। अन्वेषण अधिकारी के अतिरिक्त अन्य परीक्षित साक्षी जो प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थे या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित साक्षी नहीं थे, उनके पक्षद्रोही घोषित होने मात्र से इस स्तर पर यह अवधारणा नहीं की जा सकती है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपराध कारित करने में अंतर्वलित नहीं थे। प्रकरण में पीडब्ल्यू-5 बंशीलाल, पीडब्ल्यू-6 कुलविन्द्रसिंह परीक्षित हुए हैं, उन्होंने अपने

बयान में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से ईंट बरामद होने उन पर खून लगे होने के तथ्य बताए हैं तथा घटनास्थल की तस्दीक भी साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में की है। प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी ने भी मुख्य परीक्षा में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित आरोप के संबंध में साक्ष्य दी है। इस स्तर पर गुणावगुणों पर अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयान को विवेचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद होना और खून से सने हुए कपड़े जो जलाए गए थे बरामद होना और प्रार्थी/अभियुक्त दीपक उर्फ राजकमल का लोवर जो घटना में प्रयुक्त किया गया था उस पर ए ग्रुप का मानव रक्त प्रयोगशाला की रिपोर्ट में होना बताया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रेम कुमार व दीपक उर्फ राजकमल** की ओर से प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक तारीख पेशी पर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में प्रभावी आदेशिका लेखबद्ध करें तथा प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारण करने का प्रयास करें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J